प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 38 /2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" पर परामर्श हेतु मसौदा जारी किया

नई दिल्ली, 13 मार्च 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज परामर्श हेतु "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" का मसौदा जारी किया है।

2. अनचाहे वाणिज्यिक संचार (Unsolicited Commercial Communications - UCC) की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ट्राई ने 19 जुलाई 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (TCCCPR, 2018) जारी किए थे, जिनके माध्यम से वाणिज्यिक संचार के विनियमन के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया। इन विनियमों में 21 दिसंबर 2018 को संशोधन किया गया था तथा इसके पश्चात 12 फरवरी 2025 को दूसरा संशोधन जारी किया गया।

3. विभिन्न हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं से प्राप्त प्रतिक्रिया तथा प्रमुख एक्सेस प्रदाताओं द्वारा यूसीसी की एआई-आधारित पहचान प्रणाली के कार्यान्वयन जैसे हालिया विकासों के मद्देनज़र यह अनुभव किया गया है कि कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाए तथा विनियामक ढांचे को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए कुछ नए प्रावधान भी जोड़े जाएं।

4. "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" का मसौदा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। मसौदा संशोधन में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां तथा प्रतिटिप्पणियां, यदि कोई हो अथवा इस संबंध में कोई अतिरिक्त सुझाव, निर्धारित प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से **advqos@trai.gov.in** पर क्रमशः 12 अप्रैल 2026 तथा 27 अप्रैल 2026 तक भेजे जा सकते हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार(QoS-II), से **advqos@trai.gov.in** अथवा +91-11-20907760 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, ट्राई